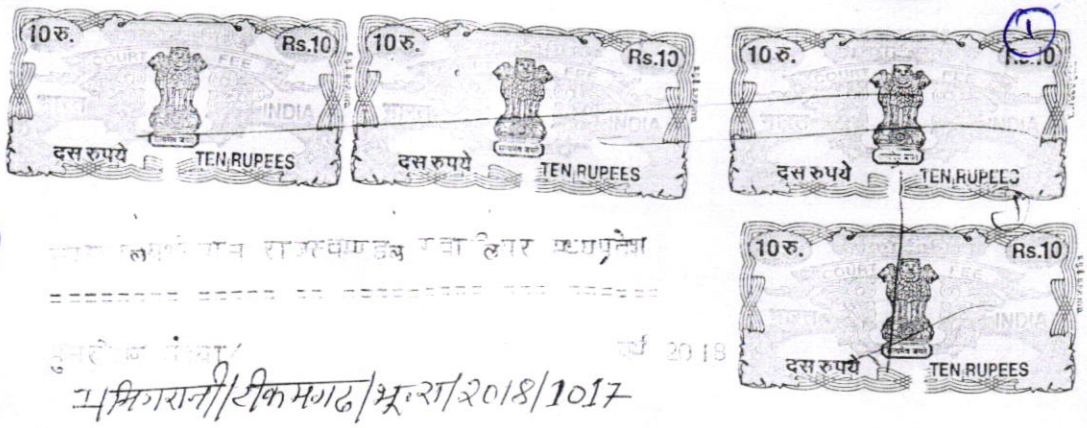

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

======== ===== == ========= === ======

पुनरीक्षण क्रमांक/ वर्ष 2018

अपील निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा/2018/1017

सुआ[illegible] अहिरवार आयु 66 वर्ष पुत्र स्व० मरुवा अहिरवार निवासी बड़ागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र०

==========आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रामखुशी खरे आयु 70 वर्ष पुत्र स्व० श्री माधवप्रसाद निवासी बड़ागांव धसान तहसील थाना व पो० बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ म०प्र०

------- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं० 1959 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० दिनांक 1-7-2016 जो कि प्रकरण क्रमांक 31/अ-12/2015-016 दिनांक 16-6-2016 में 1-7-2016 को पारित किया गया।

महोदय,

आवेदक अपनी पुनरीक्षण में सादर निम्न विनय करता है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में [illegible] [illegible] आवेदक के भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 159/1, 159/3, 160/1, 161/1 कुल कितावार कुल रकवा 2-612 हे० कुल लगान 5=87 पैसा [illegible] [illegible] राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र० है जो कृषि भूमि आवेदक की पैतृक कृषि भूमि है और [illegible] भूमि पर [illegible] पीढ़ियों से कृषि [illegible] के मालिक व काबिज है और पूर्व में अनावेदक के [illegible] की [illegible] कृषि भूमि खसरा नम्बर 444, 445 के भूतपूर्व भूमिस्वामी [illegible] व [illegible] के समय से उनकी सीमा की ओर आवेदक की बंधिया [illegible] है व [illegible] पुराने [illegible] बंधिया आवेदक [illegible] खसरा नम्बर 445 में [illegible] जो दर्ज खसरा पांचसाला 1969-70 से लगायत 1973 में दर्ज है।

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1017 नथुआ विरूद्ध रामखुशी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक नथुआ की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बडागांव जिला टीकमगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 16-06-2016 एवं 01-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 22.X.18 सदस्य	